वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(परीक्षा विभाग)

क्रमांकः वमखुवि / परीक्षा / 2018 / 13437 दिनांक 31-5-18

कार्यालय आदेश

विद्या परिषद की 57 वीं बैठक में लिये गये निर्णय संख्या 57/16 व 57/17, वित्त समिति की 56 वीं बैठक में लिये गये निर्णय संख्या 10/(4) एवं प्रबन्ध मण्डल की 95 वीं बैठक में लिये गये निर्णय संख्या 95/04 की अनुपालना में परीक्षार्थी के प्रार्थना पत्र पर परीक्षा शुल्क लौटाये जाने के सम्बन्ध में निम्न आदेश जून, 2016 की परीक्षा से लागू किये जाते हैः–

- छात्र अंक सुधार हेतु आवेदन करता है तथा अयोग्य पाये जाने पर रू. 100/– प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में काट कर शेष शुल्क वापस किया जायेगा।
- छात्र का परीक्षा परिणाम नहीं निकलने पर अग्रिम गोपनीय परीक्षा परिणाम हेतु या पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करता है तथा किसी कारणवश अयोग्य पाया जाता है तो रू. 100/– प्रोसेसिंग चार्ज काट कर शेष शुल्क वापस किया जायेगा।
- यदि छात्र ने पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया है तथा पुनर्मूल्यांकन का परिणाम नहीं आने से पहले परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराकर परीक्षा में सम्मिलित हो गया तो रू. 100/– परीक्षा शुल्क काटा जायेगा और शेष शुल्क वापस किया जायेगा।
- मर्सी परीक्षा हेतु बिना अनुमति के शुल्क जमा करने वाले अयोग्य/दुबारा मर्सी परीक्षा के लिये आवदेन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क में से प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 100/– काटकर शेष शुल्क लौटा दिया जायेगा।
- विद्यार्थियों को डिफाल्टर परीक्षा के लिए ऑनलाईन एवं ऑफलाईन फीस जमा करने पर ऑफलाईन आवेदन की परीक्षा शुल्क में से प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 100/– काटकर शेष शुल्क लौटा दिया जायेगा।
- ऑफलाईन परीक्षा फार्म आवेदन करने पर विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क में से प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 100/– काटकर शेष शुल्क लौटा दिया जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, कुलपति सचिवालय, वमखुविवि, कोटा।
2. निदेशक (अकादमिक), वमखुविवि, कोटा।
3. कुलसचिव, वमखुविवि, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि आगामी विद्या परिषद् एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने का श्रम करावें।
4. वित्त नियंत्रक, वमखुविवि, कोटा।
5. निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ प्रभाग को भेजकर लेख है कि आगामी विवरणिका में उल्लेखित करवाने का श्रम करावें।
6. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुविवि अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर।
7. प्रभारी, ई.एम.पी.सी. को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. उपकुलसचिव, परीक्षा, वमखुविवि, कोटा।
9. सम्बन्धित लिपिक, परीक्षा विभाग, वमखुविवि, कोटा।
10. रक्षित पत्रावली।

उपकुलसचिव (परीक्षा)